राज्य/ केंद्रीय क्षेत्र ऋणकर्ताओं के लिए परियोजना रूपए ब्रिज ऋण योजना

1. **उद्देश्य**

   निगम उन विद्युत संस्थाओं से ब्रिज ऋण प्रस्ताव मानेगी जिन्होंने पीएफ़सी से अवधि ऋण के रूप में वित्तीय सहायता ली है और ऋणकर्ता से मंजूरी-पत्र और सहायता प्राप्त कर है तथा सहायता की निकासी कई औपचारिकताओं/ क्लियरेंस के गैर-अनुपालन के कारण समय पर नहीं हो सकता है। इस प्रकार, ब्रिज ऋण तब माना जाएगा जहां पीएफ़सी ने परियोजना अवधि ऋण की स्वीकृति स्टैंड-अलोन आधार या कंसोर्शियम आधार पर पहले ही कर दी है।

2. **पात्र विद्युत संस्थाएं**

   निगम उन सभी उत्पादन योजनाओं, पारेषण और वितरण कार्यों के लिए केंद्रीय/ राज्य क्षेत्र विद्युत संस्थाओं (राज्य निगम, नगरपालिका निकाय आदि सहित) को ब्रिज ऋण की मंजूरी देगी जिनकी पीएफ़सी से वित्तीय सहायता के अंतर्गत कोई बकाया देय (चूक) नहीं है।

3. **सहायता**

   मंजूरी की तारीख से अगले 12 महीनों में मंजूरी राशि या निधियों की वास्तविक आवश्यकता का 50% तक, जो भी कम हो।

4. **अवधि**

   अवधि ऋण के मंजूरी-पात्र की तारीख से एक वर्ष तक ऋण की अवधि होगी।

5. **ब्याज दर और अन्य प्रभार**

   - निगम उन योजना/परियोजनाओं की संबंधी श्रेणी के अंतर्गत परियोजना रुपए अवधि ऋण को लागू ब्याज दरों के अतिरिक्त प्रति वर्ष 0.5% का अतिरिक्त ब्याज चार्ज करेगी जहां ऋणकर्ता एस्क्रो खाते के साथ आश्वासन-पात्र के रूप में प्रतिभूति देता है। ऋणकर्ता द्वारा एस्क्रो खाते के साथ राज्य सरकार गारंटी देने की स्थिति में, ब्याज दर रुपए अवधि ऋण के लिए लागू ब्याज दर के समान होंगी।

- समय पर देयताओं के भुगतान के लिए रिबेट प्रिवेलिंग नीति के अनुसार स्वीकार्य होगी।
- ऋणकर्ता समय-समय से लागू दर पर ब्रिज ऋण के लिए अपफ्रंट शुल्क का भुगतान करेगा। कमिटमेंट प्रभार का विकल्प उपलब्ध नहीं है।

6. संवितरण तंत्र

केंद्रीय/ राज्य विद्युत संस्था रुपए अवधि ऋण को यथा लागू संवितरण प्रक्रिया ब्रिज ऋण के लिए लागू होंगी।

7. पुनर्भुगतान

पुनर्भुगतान बुलेट पुनर्भुगतान या रुपए अवधि ऋण के अंतर्गत निर्धारित संवितरण होगा।

8. अपेक्षित प्रतिभूति

- राज्य विद्युत संस्था की स्थिति में, ब्रिज ऋण एस्क्रो खाते के साथ संबंधी राज्य सरकार या परिसंपत्तियों पर प्रभार से आश्वासन-पत्र या राज्य सरकार गारंटी द्वारा लिया जाएगा, और
- एस्क्रो खाते के अतिरिक्त, केंद्रीय विद्युत संस्थाओं की स्थिति में, ब्रिज ऋण भारत सरकार या परिसंपत्तियों पर प्रभार से आश्वासन-पत्र द्वारा लिया जाएगा।